

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा / माध्य / माध्य-द / 22492 / प्रवेशोत्सव / 2019-20 / 310

दिनांक : 20/11/2020

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय—माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।

विषय :- नामांकन वृद्धि तथा अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों एवं कोविड-19 के कारण प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्रवेश की तिथि बढ़ाने के सम्वन्ध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक: 30.09.2020।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में नवीन प्रवेश की अंतिम तिथि 20.10.2020 निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ा कर दिनांक 10.12.2020 किया जाता है। पूर्व निर्देशानुसार आरटीई के तहत कक्षा 1 से 8 में प्रवेश सत्रपर्यन्त हो सकेंगे।


(सौरम स्वामी)
आइ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायती राज ; प्रा.शि.द्व राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला परिषद।
9. विकास अधिकारी, समस्त पंचायत समिति।
10. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
11. उप निदेशक ; सांख्यिकी, कार्यालय हाजा।
12. उप निदेशक ; समाज शिक्षा, कार्यालय हाजा।
13. उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर / सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
14. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
15. वरिष्ठ सम्पादक 'शिविरा', प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
16. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
17. समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी / संस्था प्रधान, समस्त राजकीय विद्यालय।
18. रक्षित पत्रावली।


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर